Purnea University Purnea

M.L. Arya college
Kasba

Department of Pol. Science

Hand written lecture
presented by
Hira chand Mehta
Assist - Professor

D.P - II

paper - III

Date of lecture
↓
31-07-2020

Topic -

धार्मिक स्वतंत्रता का
अधिकार (अनु0 25-28)

Right to Freedom of
Religion

Hirachand
31-07-2020

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
(अनुच्छेद 25 - 28)

अन्तः करण की स्वतंत्रता (अनु० 25): अनु० 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अन्तः करण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना को लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है।

अनुच्छेद 25 में व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक प्रकृति की हिन्दू धार्मिक संस्थाओं (मन्दिरों और अन्य स्थानों) में हिन्दू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार होगा अर्थात् इन संस्थाओं में हिन्दू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकेगा।

धार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने की स्वतंत्रता:- (अनुच्छेद - 26)

अनु० 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान करता है -

(क) धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार।

(ख) धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार।

(ग) चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार।

Scanned by CamScanner

(ब) उस सम्पत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार।

वस्तुतः अनु० 26, अनुच्छेद 25 का एक उपसिद्धांत मात्र है।

धार्मिक व्यय के लिए निश्चित कर पर कर की अदायगी से छूट (अनु० 27):- अनु० 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो।

राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध (अनु० 28):- भारत राज्य का स्वरूप धर्म-निरपेक्ष राज्य का है, जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है। अतः अनु० 28 में कहा गया है कि "राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।"

किन्तु अन्य अधिकारों की भाँति ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबन्धरहित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि से राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सामाजिक हित और सुधार संबंधी कार्य भी कर सकता है, चाहे ऐसा करते हुए धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ही क्यों न करना पड़े।

Scanned by CamScanner